औद्योगिक नीति, 2016/2011 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 18.07.2019 को सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

1. **स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से सम्बंधित प्रोत्साहन**

ऐसा प्रायः पाया गया है कि आवेदकों द्वारा दिए गए डी० पी० आर० (DPR) एवं बैंक अप्रैजल रिपोट (Bank Appraisal Report) में इकाई की भूमि के रकवे का उल्लेख नहीं होता है जो औद्योगिक नीति 2016 के कंडिका 6.2.1(c) में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रोत्साहन के अनुमोदन की शर्त है। इस वजह से प्रोत्साहन के लिए आवेदनों का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है। इस परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिए गएः–

(a) स्टेज–1 क्लीयरेंस के उपरांत जो अनुमोदन पत्र निवेशकों को जारी किया जाता है उसमें निम्न अतिरिक्त परिच्छेद शामिल किया जाएः–

"ऐसा प्रायः देखा गया है कि आवेदकों द्वारा दिए गए डी० पी० आर० (DPR) एवं बैंक अप्रैजल रिपोट (Bank Appraisal Report) में इकाई की भूमि के रकवे का उल्लेख नहीं होता है जो औद्योगिक नीति 2016 के कंडिका 6.2.1(c) में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रोत्साहन के अनुमोदन की महत्वपूर्ण शर्त है। अतएव आपको सूचित किया जाता है कि डी० पी० आर० (DPR) एवं बैंक अप्रैजल रिपोर्ट (Bank Appraisal Report) में इकाई के भूमि का स्पष्ट उल्लेख करें ताकि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रोत्साहन के अनुमोदन में कोई कठिनाई नहीं हो।

(b) जिन इकाइयों का वित्तीय क्लीयरेंस हो चुका है परन्तु डी० पी० आर० (DPR) एवं बैंक अप्रैजल रिपोर्ट (Bank Appraisal Report) में इकाई की भूमि के रकवे का उल्लेख नहीं होने के कारण स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रोत्साहन का अनुमोदन नहीं हो पा रहा है उनसे निम्न दो दस्तावेज ले के प्रोत्साहन का अनुमोदन किया जा सकता है :–

(i) इकाई से एक घोषणा पत्र लिया जाय कि इकाई कितने भूभाग पर स्थापित है और यह कि ये दस्तावेज डी० पी० आर० (DPR) का ही अंग माना जाए।

(ii) ऋण देने वाली बैंक / वित्तीय संस्था जिसके बैंक अप्रैजल रिपोर्ट (Bank Appraisal Report) के आधार पर वित्तीय क्लीयरेंस हुआ है उनके द्वारा स्पष्ट लिखा हो कि औद्योगिक इकाई कितने भूभाग पर आधारित है और यह कि ये दस्तावेज बैंक अप्रैजल रिपोर्ट (Bank Appraisal Report) का ही अंग माना जाए।

2. ऑनलाइन अपलोड किये गए दस्तावेजों की जांच :–

वित्तीय क्लीयरेंस के उपरांत बैंक ब्याज के अनुदान के लिए निवेशक बैंक सर्टिफिकेट (Bank Certificate) और टर्म लोन स्टेटमेंट (Term Loan Statement) अपलोड करते हैं। चूँकि औद्योगिक नीति, 2016 के अंतर्गत प्रोत्साहन without any physical interface देना है, इसलिए ऑनलाइन अपलोड किये गए दस्तावेजों को स्वीकृत किया जाता है। ये वांछित है कि नमूने के तौर पर ऑनलाइन अपलोड किये गए कुछ बैंक सर्टिफिकेट (Bank Certificate) और टर्म लोन स्टेटमेंट (Term Loan Statement) को सत्यापित करा लिया जाए।

3. वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि निर्धारित करने के लिए :–

(a) जिन इकाईयों में उत्पादन और विक्रय में ज्यादा दिनों का अंतर न हो:– वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि का निर्धारण प्रथम बिक्री के invoice एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

(b) जिन इकाईयों में उत्पादन और विक्रय में ज्यादा दिनों का अंतर हो:– वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि का निर्धारण विद्युत का प्रथम बिल, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की तिथि, उद्योग आधार की तिथि, अन्य दस्तावेजों तथा स्थल निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

4. इकाई के प्रथम किश्त की विमुक्ति करने हेतु स्थल जाँच के दौरान विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जाय तथा इन इकाईयों के कार्यरत रहने की सत्यापन त्रैमासिक आधार पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र करें।

5. जिस जिला के सभी योजनाओं की जाँच हेतु जो नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं, वे ही अनुदान की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0स0–एस0आई0पी0बी0 / विविध(अनुदान)05 / 19 | 419 पटना / दिनांक 30.07.2019

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निजी सहायक / श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय / श्री संजीत कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय–सह–प्रभारी एस0आई0पी0बी0 / श्री कुणाल परामर्शी (पी0एम0ए0, एस0आई0पी0बी0) / आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक–सह–
सदस्य सचिव,
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद,
बिहार, पटना।